

उपभोक्ता शिक्षा साहित्य

आय मान्यता पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई परिपत्र, जिसका संदर्भ संख्या आरबीआई/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22 दिनांक 12 नवंबर, 2021 है, के संदर्भ में, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग और यह पक्का करना कि कस्टमर्स को रीपेमेंट की ड्यू डेट और ओवरड्यू पेमेंट में डिफॉल्ट होने पर उनके लोन अकाउंट के क्लासिफिकेशन के बारे में पता हो, कुछ महत्वपूर्ण शब्द और इस संबंध में शर्तें स्पष्ट की गई हैं निम्नानुसार:

- POS (प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग):** किसी लोन/क्रेडिट सुविधा का बकाया प्रिंसिपल बैलेंस बस इतना ही है कुल मात्रा का प्रधानाचार्य मात्रा असाधारण में विशिष्ट ऋण कौन नहीं है इसमें जमा ब्याज, डिफॉल्ट ब्याज, दूसरे चार्ज वगैरह शामिल हैं।
- ओवरड्यू:** किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत लेंडर को देय कोई भी रकम 'ओवरड्यू' मानी जाती है, अगर उसे लेंडर और बॉरोअर के बीच तय तारीख पर नहीं चुकाया जाता है। अगर किसी अकाउंट में कोई ओवरड्यू है, तो डिफॉल्ट/नॉन-रीपेमेंट की रिपोर्ट CIBIL वगैरह जैसी क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों को दी जाती है और कस्टमर की CIBIL रिपोर्ट में डिफॉल्ट और उसका क्लासिफिकेशन स्टेटस दिखाया जाएगा।
- डीपीडी (दिन पिछला बकाया):** यह दर्शाता है चाहे आप थे सुसंगत में आपका पुनर्भुगतान और अगर आप चूक गए हैं और बताओ, तुमने कितनी किश्तें छोड़ी हैं? और कितने दिनों से। सम्मान के साथ को ए विशिष्ट ऋण, नहीं। का दिन तक दिन के लिए कौन कोई प्रधानाचार्य/ दिलचस्पी/ ईएमआई या उस लोन की कोई भी किस्त ओवरड्यू है और दिन के आखिर तक पेमेंट नहीं की गई है।
- SMA (स्पेशल मेंशन अकाउंट):** यदि उधारकर्ता नियत तिथि तक किसी भी ईएमआई का भुगतान करने में विफल रहता है या बकाया राशि या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से बकाया है, तो उधारकर्ता के ऋण खातों को नीचे परिभाषित एसएमए वर्गीकरण में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा।

एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बकाया हो
एसएमए-0	अधिकतम 30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

- निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए):** यदि उधारकर्ता 90 दिनों से अधिक समय तक कोई भी ईएमआई (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक बार उधारकर्ता को एनपीए घोषित कर दिया जाता है, तो ऋण खाता तब तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत रहेगा जब तक कि उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (क्रेडिट ब्यूरो) और रेगुलेटरी बॉडीज़ को रिपोर्टिंग इस तरह होगी: इस नियम के अनुसार।

चित्रण:

यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है, और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए दिन-समाप्ति प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उसे अतिदेय तिथि माना जाएगा। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 अप्रैल 2021 को दिन-समाप्ति प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर, इस खाते को SMA-1 के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। तदनुसार, इस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि ऋण खाता बकाया रहता है, तो 30 मई 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।